सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-08.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स० श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स०वि०स० श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स० श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स श्री रणविजय साहू, स०वि०स० श्री जय प्रकाश यादव, स०वि०स०	"बिहार पुलिस मुख्यालय (मुख्यालय एवं बजट प्रभार) के पत्रांक-346, दिनांक-16.03.2021 द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार सांसदों / विधायकों को प्राप्त सुरक्षा गार्ड को भी अब 6 माह से अधिक अवधि का दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए उन्हें खुद हट जाना पड़ेगा या माननीय सदस्यों द्वारा हटा देना मजबूरी होगी जबकि माननीय सदस्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जिसे चाहें और जब तक चाहें किसी को भी सुरक्षा गार्ड के रूप में रख सकते हैं । पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत यह पत्र माननीय सदस्यों के अधिकार को प्रभावहीन बनाने वाला है । संशोधित पत्र के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए कि उक्त पत्र माननीय सदस्यों के सुरक्षा गार्ड के लिए लागू नहीं होता है । अत: माननीय सदस्यों के अधिकार की रक्षा हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह

2. श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०	"बिहार राज्य में भूमि खरीद-बिक्री के लिए भूमि निरीक्षण कर निबंधन करने का अधिकार निबंधन विभाग द्वारा निबंधन पदाधिकारी को दिया गया है । उक्त नये नियम के आलोक में निबंधन पदाधिकारी द्वारा आम जनों का भूमि निरीक्षण के नाम पर दोहन किया जा रहा है । निबंधन पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान जमीन की प्रकृति बदलकर आवासीय को कृषि योग्य तथा कृषि योग्य जमीन को व्यवसायिक बताकर जमीन का निबंधन कर रहे हैं । निबंधन कार्य में पदाधिकारी के मनमानी को रोकने के लिए उक्त नियम में संशोधन कर जमीन बिक्रेता एवं क्रेता से शपथ पत्र लेकर जमीन का निबंधन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । अत: राज्य में जमीन निबंधन कार्य में निबंधन पदाधिकारी को मिले अधिकार का दुरूपयोग कर आम जनों का भूमि निरीक्षण के नाम पर दोहन करने पर रोक लगाने के लिए उक्त नियम में संशोधन कर जमीन बिक्रेता एवं क्रेता से शपथ पत्र लेकर जमीन का निबंधन करने की व्यवस्था करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/2022- 1054 / वि०स०, पटना, दिनांक- 07 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/2022- 1054 / वि०स०, पटना, दिनांक- 07 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/2022- 1054 / वि०स०, पटना, दिनांक- 07 मार्च, 2022 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/2022- 1054 / वि०स०, पटना, दिनांक- 07 मार्च, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।